आपका पैसा

आपका निवेश

पंकज कपूर, सीए और सहायक
प्रोफेसर एनएमआइएमएस (चंडीगढ़)

रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती, जीएसटी सुधार से बढ़ेगी मांग व विकास दर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी कर की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लंबे समय से लंबित मुद्दे को मंजूरी दे दी गई ताकि चार-स्तरीय जीएसटी कर प्रणाली (5%, 12%, 18%, 28%) को दो-स्तरीय संरचना (5% और 18%) में परिवर्तित किया जा सके, इसके अलावा चुनिंदा उत्पादों के लिए 40 प्रतिशत विलासिता श्रेणी भी शामिल है। 0% कर दर (जिसे शून्य-रेटेड आपूर्ति कहा जाता है) पहले भी थी और अब भी है। हेयर ऑइल, साबुन, घरेलू सामान, साइकिल और पैकेज्ड फूड जैसी वस्तुओं को 5% दर में स्थानांतरित कर दिया गया है। दूध, पनीर और भारतीय ब्रेड (जैसे रोटी, पराठा) अब जीएसटी- कर मुक्त (0%) हैं। कृषि मशीनरी, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और हस्तशिल्प पर कम जीएसटी कर (अधिकांशत: 5% दर) लागू होगी। सिगरेट, पान मसाला, चीनी युक्त पेय पदार्थ और लक्जरी वाहन जैसे उत्पादों पर अब उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए 40 प्रतिशत की भारी जीएसटी दर लागू की गई है। इस दर युक्तिकरण से रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे, उपभोक्ता खाद्य और स्वच्छता वस्तुओं से लेकर घरेलू उपकरणों तक, आवश्यक वस्तुओं पर कम जीएसटी का भुगतान करना होगा। इससे विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए प्रयोज्य आय (खर्चों के बाद बची हुई आय) में वृद्धि हो सकती है, जिससे संभावित रूप से एफएमसीजी और ऑटो जैसे क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा मिल सकता है। विश्लेषकों के अनुसार, जीएसटी स्लैब में कटौती से जीडीपी विकास दर में 0.6 प्रतिशत अंकों तक की बढ़त हो सकती है। प्रमुख कृषि इनपुट अधिक किफायती होने से किसानों की आय बढ़ सकती है। हानिकारक वस्तुओं पर 40% का भारी जीएसटी उनके उपभोग को रोक सकता है और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय के रूप में कार्य कर सकता है। उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मक होते हुए भी, ये सुधार जीएसटी राजस्व को कम कर सकता है। नीति निर्माताओं का अनुमान है कि वार्षिक कमी लगभग 48,000 करोड़ रुपए या मौजूदा जीडीपी का लगभग 0.4% होगी। केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय समानता का तनाव बढ़ सकता है क्योंकि राज्यों को बजटीय व्यवधान का डर है। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में किए गए जीएसटी सुधार एक सरल, निष्पक्ष कर व्यवस्था की दिशा में एक साहसिक कदम है।

नोट.... यह लेखक के निजी सुझाव है।

Publication: Dainik Jagran

Edition: Chandigarh

Authored Article by CA (CMA) Mr. Pankaj Kapoor, Assistant Professor, NMIMS Chandigarh